



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या 2841 / 2016

श्रीमती कश्मीरी एवं 3 अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

यू.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता: निगमेंद्र शुक्ला

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : संजीव कुमार यादव

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री निगमेंद्र शुक्ला और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार यादव की दलीलें सुनीं।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मुआवजे में वृद्धि के लिए यह अपील याचिकाकर्ताओं द्वारा श्री सुनील कुमार, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, बुलंदशहर द्वारा एमएसीपी संख्या 266/2014 (श्रीमती कश्मीरी देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य) में दिनांक 30.04.2016 को पारित निर्णय और पुरस्कार के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत, 10.06.2014 को हुई सड़क दुर्घटना में अंकित की असामयिक मृत्यु के लिए, दावेदारों (माता, बहन और भाइयों) को 2,60,000/- रुपये का मुआवजा 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित प्रदान किया गया है, जिसे दुर्घटना में शामिल बस संख्या उ०प्र०-15एटी-4097 के मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश दिया गया है।

3. चूंकि दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक और चालक द्वारा कोई प्रतिवाद दायर नहीं किया गया है, इसलिए दुर्घटना और दुर्घटना में शामिल चालक की लापरवाही के तथ्य पर प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई विवाद नहीं है।

4. दावेदारों-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक अंकित दुर्घटना के समय लगभग 22 वर्ष का अविवाहित युवक था, जो एक मजदूर था और लगभग 9000 रुपये प्रति माह कमाता था, जिस पर दावेदार आश्रित थे, लेकिन न्यायाधिकरण ने मृतक की काल्पनिक आय 15000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है, जो कि घोर अपर्याप्त है। आगे यह भी कहा गया कि दावेदार मृतक के भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% मुआवजे के हकदार थे, लेकिन न्यायाधिकरण ने इस मद पर कोई मुआवजा नहीं दिया है, जो कि गलत है। यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण ने गैर-मौद्रिक मदों के अंतर्गत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपर्याप्त मुआवजा दिया है। आगे यह भी कहा गया कि मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आकलन करने के लिए 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन न्यायाधिकरण ने 16 का गुणक लागू किया है, जिसमें वृद्धि की आवश्यकता है।

5. आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि मृतक के पिता की मृत्यु दुर्घटना से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए दावेदार पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे, अतः मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए केवल 1/3 राशि ही काटी जानी चाहिए।

6. इन दलीलों के साथ यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और दावेदारों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि दावेदारों द्वारा मृतक के व्यवसाय और आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने मृतक की काल्पनिक आय को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का सही आकलन किया है। आगे यह भी कहा गया कि दुर्घटना के समय मृतक कक्षा 12 में पढ़ रहा था और कोई आय नहीं कमा रहा था, इसलिए न्यायाधिकरण ने मुआवजे की सही राशि प्रदान की है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

8. इन दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ताओं की अपील खारिज कर दी जाए।

9. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, विवादित निर्णय और अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरप्रीत कौर और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1778 के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

“8. हालांकि मृतक प्यारा सिंह की आय के संबंध में कोई अभिलेख में मौजूद सबूत नहीं है, लेकिन गवाह संख्या 4 अमर कुमार, सहायक प्रबंधक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतक प्यारा सिंह ट्रैक्टर के ऋण की किस्त के रूप में नियमित रूप से 11550 रुपये का भुगतान कर रहे थे। इस दर से, पूरा ऋण लगभग एक वर्ष के भीतर चुका दिया गया था। इससे मृतक की आय क्षमता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। अपीलार्थीगण-दावेदारों का यह भी कहना है कि मृतक ठेकेदार के रूप में काम करता था और प्रति माह 50000 रुपये कमाता था। न्यायाधिकरण ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा: (i) ट्रैक्टर के ऋण की 11550 रुपये की मासिक किस्त का भुगतान। (ii) पत्नी, दो नाबालिग बच्चों और माता-पिता सहित परिवार का भरण-पोषण करना; (iii) ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का खर्च वहन करना; (iv) मृतक ठेकेदार के रूप में काम करता था; उसकी आय 25000/- रुपये प्रति माह आंकी गई।

9. हमारे विचार में, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण कानून और तथ्यों दोनों ही दृष्टि से पूरी तरह से उचित है। संक्षिप्त कार्यवाही में, जहाँ न्यायाधिकरण के निर्णय का दृष्टिकोण कल्याणकारी कानून के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, यह सही माना गया कि मृतक की मासिक आय 25000 रुपये से कम नहीं हो सकती। मृतक की मासिक आय को कम करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसका कोई तर्क नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अधिसूचना केवल उसी स्थिति में मार्गदर्शक कारक हो सकती है जब मृतक की मासिक आय का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य सुराग उपलब्ध न हो। जहां पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं, वहां अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि मृतक मजदूर था जैसा कि उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(जोर दिया गया)

11. जितेंद्र बनाम सादिया और अन्य 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 261 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“10. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी। हम अपीलार्थीगण की आय और उसके द्वारा ग्रस्त शारीरिक अक्षमता के संबंध में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत से सहमत नहीं हैं। प्रारंभ में, हमें गुरप्रीत कौर बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1778) मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचनाएं उन मामलों में मार्गदर्शक कारक हो सकती हैं जहां मासिक आय का मूल्यांकन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। “

12. दावेदारों ने दावा किया कि मृतक एक मजदूर था जो लगभग 9000 रुपये प्रति माह कमाता था, जिसकी पुष्टि मृतक की माता श्रीमती कश्मीरी देवी (अभियोजन साक्षी-1) के साक्ष्य से भी हुई, जिन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय मृतक कक्षा 12 में पढ़ रहा था। केवल इसलिए कि मृतक कक्षा 12 में पढ़ रहा था, यह नहीं माना जा सकता कि वह कुछ भी नहीं कमा रहा था। यह स्पष्ट है कि दावेदार मृतक की आय और व्यवसाय का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, इसलिए न्यायाधिकरण ने मृतक की काल्पनिक आय के आधार पर मुआवजे का आकलन किया है, यह मानकर कि वह प्रति वर्ष 15000 रुपये कमा रहा था, जो कि घोर अपर्याप्त है।

13. यह सर्वविदित है कि मृतक की आय और व्यवसाय के दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में, न्यायाधिकरण को मृतक को अकुशल श्रमिक मानकर मुआवजे का आकलन करना होता था और दुर्घटना के समय उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी, जो कि 6362 रुपये प्रति माह थी, के आधार पर मुआवजे का आकलन करना आवश्यक था।

14. इस आधार पर, दावेदारों को मुआवजा पाने का अधिकार है क्योंकि मृतक की मासिक आय 6362 रुपये थी।

15. उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 का नियम 220-ए, जो 26.09.2011 से प्रभावी है, यह अनिवार्य करता है कि यदि मृतक की आय दुर्घटना के दिन 40 वर्ष से कम थी, तो दावेदार उसकी आय के 50% की दर से भविष्य की संभावनाओं पर भी मुआवजे के हकदार हैं।

16. सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 के मामले में वैवाहिक संबंधों की हानि के लिए 40,000 रुपये और संपत्ति की हानि तथा अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 15,000 रुपये का मुआवजा दिया है, जिसे हर तीन साल बाद 10% की दर से बढ़ाया जाना है।

17. सर्वोच्च न्यायालय ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहू राम और अन्य (2018) 18 एससीसी 130 के मामले में पति-पत्नी के सहवास, माता-पिता के सहवास और संतान के सहवास के लिए प्रत्येक को 40,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया है।

18. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गणपतराव साबले बनाम लक्ष्मण मारुति जाधव (मृत) के मामले में, उनके कानूनी वारिसों और अन्य (2023) 13 एससीसी 334 में निम्नलिखित न्याय निर्णय दिया:

32. वर्तमान मामले में, एमसीटी ने वैवाहिक हानि के लिए मात्र 5000 रुपये की राशि प्रदान की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने वैवाहिक हानि, संपत्ति हानि और अंतिम संस्कार व्यय सहित सभी पारंपरिक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मर्दों के अंतर्गत समेकित राशि के रूप में कुल 70,000 रुपये की राशि प्रदान की। प्रणय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680 : (2018) 3 एससीसी (सिविल) 248 : (2018) 2 एससीसी (दांडिक) 205] मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह प्रावधान किया था कि सभी आश्रितों को वैवाहिक हानि की भरपाई के लिए अलग-अलग मुआवजा दिया जाना चाहिए और वास्तव में प्रत्येक आश्रित को 40,000 रुपये का मुआवजा दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, वैवाहिक हानि की भरपाई के लिए चारों आश्रितों में से प्रत्येक को 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

(जोर दिया गया)

19. यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-ए के अनुसार, दावेदार मृतक की आय के 50% की दर से भविष्य की संभावनाओं पर मुआवजा पाने के हकदार थे, लेकिन न्यायाधिकरण ने इस मद पर कोई मुआवजा नहीं दिया है, जो कि गलत है। यह भी स्पष्ट है कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, चूंकि मृतक दुर्घटना के समय लगभग 22 वर्ष का था, इसलिए मुआवजे का आकलन करने के लिए 18 के गुणक का प्रयोग किया जाना आवश्यक था, लेकिन न्यायाधिकरण ने 16 के गुणक का प्रयोग किया है, जिसके लिए मुआवजे में वृद्धि की आवश्यकता है।

20. इसके अलावा, प्रणय सेठी (उपरोक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) और राहुल गणपतराव साबले (उपरोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, दावेदार गैर-मौद्रिक मर्दों के तहत बड़ी हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं।

21. यह स्पष्ट है कि मृतक के पिता की मृत्यु दुर्घटना से पहले ही हो चुकी थी और इस प्रकार, दावेदार पूरी तरह से मृतक की आय पर निर्भर थे, जो अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे, जिसमें उनकी माता, दो अविवाहित भाई और एक अविवाहित बहन शामिल थीं।

22. सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121 के मामले में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी (उपरोक्त) मामले में अनुमोदित किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थिति पर चर्चा करते हुए, जहां मृतक अविवाहित था और अपने आश्रितों के बड़े परिवार का भरण-पोषण कर रहा था, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

31. यदि मृतक अविवाहित था और दावेदार उसके माता-पिता हैं, तो कटौती का सिद्धांत भिन्न होता है। अविवाहितों के मामले में, सामान्यतः 50% कटौती व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के रूप में की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि अविवाहित व्यक्ति स्वयं पर अधिक खर्च करेगा। वैसे भी, निकट भविष्य में उसकी शादी होने की संभावना भी है, ऐसी स्थिति में माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति उसका योगदान काफी कम हो सकता है। इसके अलावा, विपरीत साक्ष्य न होने की स्थिति में, पिता की अपनी आय होने की संभावना है और उन्हें आश्रित नहीं माना जाएगा, केवल माता को ही आश्रित माना जाएगा। विपरीत साक्ष्य न होने की स्थिति में, भाई-बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र और कमाने वाले होंगे, या विवाहित होंगे, या पिता पर आश्रित होंगे।

32. इस प्रकार, भले ही मृतक के माता-पिता और भाई-बहन जीवित हों, केवल माता को ही आश्रित माना जाएगा, और 50% राशि अविवाहित व्यक्ति के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के रूप में तथा 50% राशि परिवार के योगदान के रूप में मानी जाएगी। हालांकि, यदि अविवाहित व्यक्ति का परिवार बड़ा है और मृतक की आय पर निर्भर है, जैसे कि विधवा माता और बड़ी संख्या में छोटे गैर-कमाई करने वाले

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भाई-बहन हों, तो उसके व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों को एक-तिहाई तक सीमित किया जा सकता है और परिवार के लिए योगदान दो-तिहाई माना जाएगा।

23. इस संदर्भ में, यद्यपि मृतक अविवाहित था, लेकिन चूंकि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, सरला वर्मा (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि मृतक की आय का केवल 1/3 भाग उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाए और शेष 2/3 भाग पर यह माना जाए कि दावेदार उस पर आश्रित थे।

24. उपरोक्त वैधानिक कानून और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, दावेदारों को देय मुआवजे का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रम संख्या मुआवजा मद पंचाट राशि (रुपये में) के अनुसार

- 1 मृतक की मासिक आय 6,362/- गुरप्रीत कौर (उपरोक्त) और जितेंद्र (उपरोक्त)
- 2 मृतक की वार्षिक आय 6,362 X 12 = 76,344/- गुरप्रीत कौर (उपरोक्त) और जितेंद्र (उपरोक्त)
- 3 स्वयं के खर्चों के लिए 1/3 कटौती घटाएं (क्योंकि मृतक अविवाहित था और उसका परिवार बड़ा था) 25,448/- सरला वर्मा (उपरोक्त)
- 4 शुद्ध वार्षिक आय जिस पर दावेदार निर्भर थे 50,896/- प्रणय सेठी (उपरोक्त)
- 5 भविष्य की संभावनाएँ @50% जोड़ें, क्योंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 22 वर्ष थी 25,448/- उ. प्र. मोटर वाहन नियम, 1998
- 6 मृतक पर दावेदारों की कुल वार्षिक निर्भरता 76,344/- उ. प्र. मोटर वाहन नियम, 1998
- 7 लागू गुणक क्योंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 22 वर्ष थी 18 प्रणय सेठी (उपरोक्त)
- 8 दावेदारों को निर्भरता की कुल हानि 76,344 X 18 = 13,74,192/- प्रणय सेठी (उपरोक्त)
- 9 सहायता संघ की हानि @₹.40,000/- प्रति व्यक्ति, हर 3 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि के साथ (4 दावेदार) 48,400 X 4 = 1,93,600/- प्रणय सेठी (उपरोक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) और राहुल गणपतराव साबले (उपरोक्त)
- 10 संपत्ति की हानि @15,000/- हर 3 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि के साथ 18,150/- प्रणय सेठी (उपरोक्त)
- 11 अंतिम संस्कार के खर्च @ Rs.15,000/-, हर 3 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि के साथ 18,150/- प्रणय सेठी (उपरोक्त)
- 12 कुल मुआवजा 16,04,092/-

25. इस प्रकार, दावेदार 16,04,092/- रुपये के कुल मुआवजे के साथ-साथ दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज (जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है) के हकदार हैं, जिसकी भरपाई दोषी बस संख्या 30प्र0-15एटी-4097 के मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

26. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अधिकरण का दिनांक 30.04.2016 का विवादित निर्णय उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27. यदि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा पहले कोई राशि का भुगतान किया गया है, तो वह उस राशि को तदनुसार समायोजित करने का हकदार है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया जाता है कि वह बड़ी हुई मुआवजे की राशि को दो महीने के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करे। न्यायाधिकरण दावेदारों की आयु और आश्रितता को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से बड़ी हुई मुआवजे की राशि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(संदीप जैन, न्यायमूर्ति)

13 जनवरी, 2026

एस.ए.

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"